रजिस्ट्री संख्या डी. एल.—33001/92

REGISTERED NO. DL-33001/92

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
7/10/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 11, 1992/आषाढ़ 20, 1914

No. 28] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 11, 1992/ASADHA 20, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश

Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 मई, 1992

का.नि.आ. 139:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साधारण भविष्य निधि (रक्षा सेवा) नियम, 1960 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम साधारण भविष्य निधि (रक्षा सेवा) संशोधन नियम 1991 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. साधारण भविष्य निधि (रक्षा सेवा) नियम, 1960 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में; नियम 2 में, उप-नियम 1 में खंड (ग) के नीचे टिप्पण में "अभिदाता" शब्द के पश्चात् "संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1980 के अधीन या कोई प्रतिपाल्य जो सरकारी सेवक के साथ रहता है और जिसे कुटुम्ब के सदस्य के रूप में माना जाता है तथा जिसे सरकारी सेवक ने विशेष विल के द्वारा अकृत्रिम संतान की प्रास्थिति प्रदान की है" शब्द, अंक और कोष्ठक जोड़े जाएंगे।

3. उक्त नियमों के नियम 5 में, उप नियम (7) के नीचे टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा; अर्थात्:—

टिप्पण:—इस नियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों, "व्यक्ति" या "व्यक्तियों" को कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय सम्मिलित है, चाहे, वे निगमित हों या न हों। इसमें कोई निधि जैसे प्रधान मंत्री राष्ट्रीय सहायता निधि या कोई पूर्व या अन्य न्यास अथवा निधि सम्मिलित होगी जिसके लिए भुगतान स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत सचिव या अन्य कार्यपालक के माध्यम से किया जा सकता है।"

4. उक्त नियमों के नियम 7 में, नामनिर्देशन उप नियम (1) में टिप्पण को उसके टिप्पण 1 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित टिप्पण 1 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण जोड़ा जाएगा; अर्थात्:—

"टिप्पण 2 किसी अभिदाता को अकार्य दिन के रूप में मानी गई अवधि के लिए अभिदाय करने की आवश्यकता नहीं है।"

5. उक्त नियमों के नियम 10 में उप-नियम 3 के दूसरे परन्तुक का लोप किया जाएगा ।

6. यदि यह पाया जाता है कि किसी अभिदाता ने निकासी की तारीख को अपने खाते में जमा राशि से अधिक राशि निधि से निकाली है तो अधिक निकाली गई राशि, इस बात को दृष्टि में लिए बिना कि अधिक निकाली है या निधि से अंतिम संदाय है, वह उसका ब्याज सहित एक मुश्त भुगतान करेगा या राशि लौटाने में असफल होने पर अभिदाता की परिलब्धियों से एक मुश्त कटौती करके वसूल करने का आदेश किया जाएगा । यदि कुल राशि अभिदाता की परिलब्धियों के आधे से अधिक वसूल की जानी हो तो वसूली, ब्याज सहित संपूर्ण राशि की वसूली होने तक उसकी परिलब्धियों की आधी मासिक किश्तों में की जाएगी । अधिक निकाली गई राशि पर प्रभारित की जाने वाली ब्याज की दर उप नियम (1) के अधीन अतिशेष भविष्य निधि पर सामान्य दर के अतिरिक्त 2½ प्रतिशत होगी । अधिक राशि पर वसूल किया गया ब्याज "0049" ब्याज प्राप्तियां 60 केन्द्रीय सरकार की अन्य ब्याज प्राप्तियां-80 अन्यप्राप्तियां शीर्ष के अन्तर्गत भविष्य निधि से अधिक निकासी गई राशि पर ब्याज "उप शीर्ष के अधीन सरकार के खाते में जमा किया जाएगा ।

7. उक्त नियमों के नियम 12 के उप नियम (1) में खंड (ग) में; (क) "अभिदाता या उसके बालक या उस पर वस्तुतः आश्रित किसी अन्य व्यक्ति" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

(ख) "के समुचित" शब्दों के पश्चात् "अभिदाता" शब्द अन्तःस्थापित किया जाएगा ।

(2) उप नियम (1) में, खंड (घ) का लोप किया जाएगा ।

(3) उप नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किया जाएगा; अर्थात् :—

"(1)(क) राष्ट्रपति, विशेष परिस्थितियों में किसी अभिदाता को अग्रिम की अदायगी की मंजूरी दे सकते हैं यदि उनका यह समाधान हो जाता है कि संबंधित अभिदाता को उप नियम (1) में उल्लिखित कारणों से भिन्न कारणों के लिए अग्रिम की आवश्यकता है ।"

4. उप नियम (2) के पश्चात् और उसके टिप्पण से पहले निम्नलिखित उप नियम जोड़ा जाएगा; अर्थात् :—

"(3) जब उप नियम (2) के अधीन कोई अग्रिम किसी पूर्ववर्ती अग्रिम की अंतिम किश्त की अदायगी होने से पहले मंजूर कर दिया जाता है जो किसी पूर्ववर्ती अग्रिम के वसूल न किए गए अतिशेषों को इस प्रकार मंजूर किए गए अग्रिम में जोड़ा दिया जाएगा और वसूली के लिए किश्तें ऐसी समेकित रकम के संदर्भ में नियत की जाएगी ।"

(4) अग्रिम मंजूर करने के पश्चात् रकम ऐसे मामले में, जिसमें अंतिम संदाय के लिए आवेदन नियम 31 के उप नियम (3) के खंड (2) के अधीन लेखा अधिकारी को भेजा गया हो, लेखा अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर ही ली जाएगी ।

8. उक्त नियमों के नियम 13 में, उप नियम 3 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा; अर्थात् :—

परन्तु ऐसा अग्रिम नामंजूर करने से पहले अभिदाता को पत्र की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर लिखित में मंजूरी प्राधिकारी को यह स्पष्ट करने का अवसर दिया जाएगा कि अदायगी लागू क्यों न की जाए और यदि स्पष्टीकरण अभिदाता द्वारा पन्द्रह दिन की उक्त अवधि के भीतर भेज दिया जाता है तो इसे निर्णय के लिए राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और यदि उसने उक्त अवधि के भीतर स्पष्टीकरण नहीं भेजा है तो अग्रिम की अदायगी के इस उप नियम में विहित रीति से लागू की जाएगी ।

9. उक्त नियमों के नियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा; अर्थात् :—

14. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, यदि मंजूरी प्राधिकारी के लिए यह संदेह करने का कारण हो कि नियम 12 के अधीन निधि में से अग्रिम के रूप में लिए गए धन का उपयोग उस प्रयोजन से भिन्न प्रयोजनों के लिए किया गया है, जिसके लिए ऐसे धन का लिया जाना मंजूर किया गया था तो वह अभिदाता को अपने संदेह का कारण सूचित करेगा और उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि ऐसी सूचना प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर लिखित में यह स्पष्ट करे कि क्या अग्रिम का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है, जिसके लिए धन का लिया जाना मंजूर किया गया था । यदि पन्द्रह दिन की उक्त अवधि के भीतर अभिदाता द्वारा भेजे गए स्पष्टीकरण से मंजूरी प्राधिकारी का समाधान नहीं होता है तो मंजूरी प्राधिकारी अभिदाता को संबंधित रकम को निधि में तत्काल अदा करने के लिए निदेश देगा या व्यतिक्रम की दशा में अभिदाता की परिलब्धियों में से चाहे वह छुट्टी पर ही क्यों न हो, उसकी एक मुश्त कटौती करने का आदेश दिया जाएगा । परन्तु अदायगी की कुल रकम अभिदाता की परिलब्धियों के आधे से अधिक है तो वसूलियां उसकी परिलब्धियों के अर्धांश की मासिक किस्तों में तब तक की जाएगी जब तक कि उसके द्वारा संपूर्ण रकम की अदायगी नहीं कर दी जाती है ।

टिप्पण : इस नियम में परिलब्धियों शब्द में निर्वाह अनुदान सम्मिलित नहीं है ।

10. उक्त नियमों के नियम 15 में (1) उपनियम (1), (क) में खंड (ख) में (1) "अभिदाता की 10 वर्ष की सेवा (जिसमें खंडित सेवा काल भी, यदि कोई हो; सम्मिलित है) पूरी होने के पश्चात या अधिवर्षिता पर

उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से पूर्व 10 वर्ष के भीतर, इनमें से जो भी पहले हो" शब्दों और कोष्टकों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे; अर्थात् :—

"किसी अभिदाता की सेवा के दौरान"

(2) उप खंड (क) में "स्थल" शब्द के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे; अर्थात् :—

"या दिल्ली विकास प्राधिकरण, राज्य आवास बोर्ड अथवा गृह निर्माण सोसाइटी द्वारा आवंटित प्लाट या फ्लैट की बाबत कोई संदाय "ख" खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा; अर्थात :—

"(ग) अभिदाता की अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की तारीख से पूर्व निधि में उसके नाम जमा बकाया से किसी प्रयोजन से जोड़े बिना बारह मास के भीतर।"

(ग) खंड (ग) के पश्चात् और उसके नीचे के टिप्पण से पूर्व निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा; अर्थात् :—

"(घ) किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक वर्ष के अभिदान के बराबर राशि एक बार अभिदाता द्वारा स्वयं वित्त पोषित तथा अंशदायी आधार पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना में संदत्त की जाएगी।

(2) उप नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम जोड़ा जाएगा; अर्थात् :—

"(3) रकम निकालने की मंजूरी देने के पश्चात् ऐसे मामलों में जिनमें अंतिम भुगतान के लिए आवेदन नियम 34 के उप नियम (3) के खंड (2) के अधीन लेखा अधिकारी को भेजा गया था, रकम लेखा अधिकारी द्वारा प्राधिकार दिए जाने पर ली जाएगी।"

11. उक्त नियमों के नियम 16 में, उप नियम (i) में दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा; अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि नियम 15(1) (ग) के अधीन अनुज्ञेय प्रत्याहरण निधि में अभिदाता के नाम जमा बकाया के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।"

(2) उप नियम (2) में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा; अर्थात् :—

परंतुक इस नियम के अधीन आहरण की अदायगी लागू करने से पहले अभिदाता को पत्र की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर लिखित में यह स्पष्ट करने का अवसर दिया जाएगा कि अदायगी को लागू क्यों न किया जाए और यदि मंजूरी प्राधिकारी स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है अथवा अभिदाता द्वारा पन्द्रह दिन की उक्त अवधि के भीतर स्पष्टीकरण नहीं भेजा जाता तो मंजूरी प्राधिकारी इस उप नियम के अधीन विहित रीति से अदायगी करवाएगा।

12. नियम 33-क के आरंभिक पैरा में "अभिदाता की मृत्यु पर" शब्दों के पश्चात् "30 सितम्बर, 1991 को या उससे पूर्व और जिन्हें नियम 33-ख लागू नहीं होता है" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

13. उक्त नियमों के नियम 33-क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा; अर्थात् :—

"33-क जमाराशि—सहबद्ध बीमा स्कीम—अभिदाता की मृत्यु पर अभिदाता के नाम जमा रकम प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति को लेखा अधिकारी ऐसे अभिदाता की मृत्यु से ठीक तीन वर्ष पूर्व के दौरान खाते में औसत अतिशेष के बराबर अतिरिक्त रकम इस शर्त के अधीन देगा कि—

(क) ऐसे अभिदाता के नाम जमा अतिशेष उसकी मृत्यु के मास से पूर्व तीन वर्ष के दौरान किसी भी समय निम्नलिखित से कम न हो—

(1) ऐसे अभिदाता के मामले में जिसने तीन वर्ष की उपर्युक्त अवधि के अधिकांश भाग में ऐसे पद धारण किया है जिसका अधिकतम वेतनमान 4000 रुपये या उससे अधिक है 1200 रुपये।

(2) ऐसे अभिदाता के मामले में जिसने तीन वर्ष की उपर्युक्त अवधि के अधिकांश भाग में ऐसा पद धारण किया है जिसका अधिकतम वेतनमान 2900 रुपये या उससे अधिक है किंतु 4000 रुपये से न्यून है 7500 रुपये।

(3) ऐसे अभिदाता के मामले में जिसने तीन वर्ष की उपर्युक्त अवधि के अधिकांश भाग में ऐसा पद धारण किया है जिसका अधिकतम वेतनमान 1151 रुपये या उससे अधिक है किंतु 2900 रुपये से न्यून है 4500 रुपये।

(4) ऐसे अभिदाता के मामले में जिसने तीन वर्ष की उपर्युक्त अवधि के अधिकांश भाग में ऐसा पद धारण किया है जिसका अधिकतम वेतनमान 1151 रुपये से न्यून है—3000 रुपये।

(ख) इस नियम के अधीन देय अतिरिक्त रकम 30,000 रुपये से अधिक नहीं होगी।

(ग) अभिदाता ने अपनी मृत्यु के समय कम से कम पांच वर्ष की सेवा कर ली हो।

टिप्पण 1: औसत अतिशेष की गणना उस मास से, जिसमें मृत्यु हुई है, पूर्व 36 मास में से प्रत्येक मास के अन्त में अभिदाता के नाम जमा अतिशेष के आधार पर की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए

और ऊपर विहित न्यूनतम अतिशेष की जांच करने के लिए भी—

(क) मार्च के अन्त के अतिशेष में नियम 11 के निबंधनों के अनुसार जमा किया गया वार्षिक ब्याज भी सम्मिलित होगा; और

(ख) यदि उपर्युक्त 36 मासों में से अंतिम मास मार्च नहीं है तो, उक्त अंतिम मास के अंत के अतिशेष में उस वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से जिसमें मृत्यु हुई है, उक्त अंतिम मास के अंत तक की अवधि की बाबत ब्याज भी सम्मिलित होगा।

टिप्पण 2 : इस स्कीम के अधीन भुगतान पूर्ण रुपयों में होना चाहिए। यदि किसी देय रकम में रुपये का कोई भाग सम्मिलित है तो उसे निकटतम रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाना चाहिए। (पचास पैसे की गणना एक और रुपये के रूप में की जाएगी)।

टिप्पण 3 : इस स्कीम के अधीन देय धनराशि बीमा धन के किस्म की है और, इसलिए, भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का अधिनियम 19) की धारा 3 द्वारा दिया गया कानूनी संरक्षण इस स्कीम के अधीन देय धनराशि लागू नहीं होता।

टिप्पण 4 : यह स्कीम निधि के उन अभिदाताओं पर भी लागू होती है जिन्हें किसी सरकारी विभाग को स्वशासी संगठन में परिवर्तित कर दिए जाने के परिणामस्वरूप ऐसे निकाय को स्थानांतरित कर दिया गया है और जिन्होंने ऐसा स्थानांतरण होने पर अपने को दिए गए विकल्प के निबंधनों के अनुसार इन नियमों के अनुसार इस निधि में अभिदान करने का विकल्प दिया है।

टिप्पण 5 : (क) ऐसे सरकारी सेवक के मामले में जिसे नियम 35 या नियम 35क के अधीन निधि के फायदों में शामिल किया गया है, किन्तु जिसकी मृत्यु, यथास्थिति निधि में उसके शामिल होने की तारीख से तीन वर्ष की सेवा या पांच वर्ष की सेवा पूरी होने से पूर्व हो जाती है, पूर्ववर्ती नियोजक के अधीन उसकी सेवा की वह अवधि, जिसकी बाबत उसके अभिदानों की रकम और नियोजक का अभिदाय, यदि कोई हो, ब्याज सहित प्राप्त हो गया है, खंड (क) और खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए गिनी जाएगी।

(ख) आवधिक आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों के मामले में और पुनर्नियोजित पेंशन भोगी व्यक्तियों के मामले में, यथास्थिति, ऐसी नियुक्ति या ऐसी पुनर्नियोजन की तारीख से की गई सेवा ही इस नियम के प्रयोजनों के लिए गिनी जाएगी।

(ग) यह स्कीम संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों पर लागू नहीं होती।

टिप्पण 6 : इस स्कीम की बाबत व्यय के बजट प्राक्कलन निधि के लेखा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी लेखा अधिकारी द्वारा व्यय के रुख को ध्यान में रखते हुए उसी रीति से तैयार किए जाएंगे जिस प्रकार अन्य सेवानिवृत्ति फायदों के लिए प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं।

14. उक्त नियमों के नियम 34 में (1) उप नियम (2) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा; अर्थात् :—

परन्तु यदि कोई प्रबंधक नियुक्त नहीं किया गया है और वह व्यक्ति जिसे राशि देय है मजिस्ट्रेट द्वारा पागल प्रमाणित कर दिया जाता है तो अदायगी भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 की धारा 95 की उपधारा (1) के अनुसार कलक्टर के आदेश से उस व्यक्ति को किया जाएगा जिसकी देखरेख में ऐसा पागल व्यक्ति है और लेखा अधिकारी केवल उतनी रकम उसे भुगतान करेगा जो वह उस व्यक्ति को जिसकी देखरेख में वह पागल है, देना ठीक समझे तथा अतिशेष, यदि कोई हो, अथवा उसका उतना भाग, जितना लेखा अधिकारी ठीक समझे ऐसे पागल व्यक्ति के कुटुम्ब के ऐसे सदस्यों के भरण-पोषण के लिए भुगतान किया जाएगा जो ऐसे पागल व्यक्ति पर भरण-पोषण के लिए आश्रित है।

(क) उप नियम (3)(क) में खंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा; अर्थात् :—

(1) अभिदाता को निधि से रकम निकालने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने में समर्थ बनाने के लिए कार्यालय का प्रधान प्रत्येक अभिदाता को आवश्यक प्रारूप (फार्म) या तो उसकी अधिवार्षिता पर सेवानिवृत्ति की आयु पूर्ण होने की तारीख से एक वर्ष पूर्व या यदि उसकी प्रत्याशित सेवानिवृत्ति की तारीख के पूर्वतर हो तो उसकी प्रत्याशित सेवानिवृत्ति की तारीख से पूर्व इस अनुरोध के साथ भेजेगा कि उन प्रारूपों के सम्यक रूप से पूरा करने के पश्चात् अभिदाता प्रारूप प्राप्त होने की तारीख से एक मास के भीतर वापस कर दें। अभिदाता अपने कार्यालय या विभाग के प्रधान के माध्यम से लेखा अधिकारी के समक्ष निधि की रकम के भुगतान के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा।

आवेदन :—

(क) निधि में उसके नाम जमा उतनी रकम के लिए किया जाएगा जितनी उसकी अधिवार्षिता पर सेवानिवृत्ति की तारीख से अथवा उसकी सेवानिवृत्ति की प्रत्याशित तारीख से एक वर्ष पूर्व समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखा विवरण में उपदर्शित किया गया हो, अथवा

(ख) यदि अभिदाता को लेखा विवरण प्राप्त नहीं हुआ है तो उतनी रकम के लिए किया जाएगा जो खाता बही में उपदर्शित है।

खंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

(2) कार्यालय/विभाग का प्रधान आवेदन को, किए गए अग्रिमों और नाम उन अग्रिमों के कारण जो अभी चालू हों, की गई वसूलियों तथा प्रत्येक अग्रिम के संबंध में वसूल की जाने वाली किस्तों की संख्या, उपदर्शित करते हुए लेखा अधिकारी को भेजेगा और इसमें लेखा अधिकारी द्वारा भेजी गई अभिदाता के पिछले लेखा विवरण में सम्मिलित अवधि के पश्चात् की गई रकम की निकासियां भी उपदर्शित की जाएंगी।

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-2 खंड-4, तारीख 27 अक्तूबर, 1961 पृष्ठ 63 पर भारत सरकार रक्षा मंत्रालय, का०नि०आ०सं० 331 तारीख 27-10-61 द्वारा प्रकाशित किए गए और उनका निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :—

(1) रक्षा मंत्रालय 1964 का का०नि०आ० सं० 276

(2) रक्षा मंत्रालय 1977 का का०नि०आ० संख्या 334

(3) रक्षा मंत्रालय, 1988 का का०नि०आ० संख्या 126

[मामला नं० 19(3)/90/डी(iv)(II)/रक्षा (वित्त) यू ओ संख्या 1592/पी ए/1991]

सी०ए० सुब्रमणियम्, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 1st May, 1992

S.R.O. 139.—In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the General Provident Fund (Defence Services) Rules 1960, namely:—

1. (1) These rules may be called the General Provident Fund (Defence Services) Amendment Rules, 1991.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the General Provident Fund (Defence Services) Rules, 1960 (hereinafter referred to as the said rules).

In rule 2, in sub-rule 1, in the note under clause (c) after the word 'subscriber' the words, figures and brackets 'or a ward under the Guardians and Wards Act, 1890 (8 of 1890) who lives with the Government servant and is treated as a member of the family and to whom the Government servant has, through a special will, given the same status as that of a natural born child' shall be added.

3. In rule 5 of the said rules for the NOTE under sub-rule (7) of the following NOTE shall be substituted, namely :

"NOTE in this rule, unless the context otherwise requires, 'person' or 'persons' shall include a company or association or body of individuals, whether incorporated or not. It shall also include a Fund such as the Prime Minister's National Relief Fund or any charitable other Trust or Fund, to which nomination may be made through the Secretary or other executive authorised to received payments."

4. In rule 7 of the said rules, in sub-rules, in sub-rule (1) the NOTE shall be numbered as NOTE 1 thereof, and after the NOTE 1 so numbered, the following NOTE shall be added, namely :—

"NOTE 2 : A Subscriber need not subscribe during a period treated as dies-non".

5. In rule 10 of the said rules the second proviso to sub-rule 3, shall be omitted.

6. In rule 11 of the said rules, after sub-rule (6), the following sub-rule shall be added, namely :—

7. In case a subscriber is found to have drawn from the Fund an amount in excess of the amount standing to his credit on the date of the drawal, the over drawn amount, irrespective of whether the overdrawal occurred in the course of an advance or a withdrawal or the final payment from the fund, shall be repaid by him with interest thereon, in one lumpsum, or in default, be ordered to be recovered by deduction in one lumpsum, from the emoluments of the subscriber. If the total amount to be recovered is more than half of the subscriber's emoluments, recoveries shall be made in monthly instalments of moieties of his emoluments till the entire amount together with interest, is recovered. The rate of interest to be charged on such overdrawn amount shall be 2-1/2 percent over and above the normal rate on provident fund balance under sub-rule (1). The interest realised on such overdrawn amount shall be credited to Government account under a distinct sub head "Interest on overdrawals from the provident Fund" under the head "0049 Interest Receipts-60—Other interest receipts of Central Government-800-other receipts".

7. In rule 12 of the said rules (1) in sub-rule (1), in clause (c), —

(a) the words "of himself of his children or of any other person actually dependent on him" shall be omitted;

(b) after the words 'appropriate to the' the word "subscriber's " shall be inserted;

(2) In sub-rule (1), clause (f) shall be omitted;

(3) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely :

"(1A) The President may, in special circumstances, a sanction payment to any subscriber of an advance, if he is satisfied that the subscriber concerned requires the advance for reasons other than those specified in sub-rule (1)."

(4) after sub-rule (2) and before notes thereunder the following sub-rules shall be added namely :

"(3) When an advance is sanctioned under sub-rule (2), before repayment of last instalment of any previous advance is completed, the balance of any previous advance not recovered shall be added to the advance so sanctioned and the instalments for recovery shall be fixed with reference to the consolidated amount."

(4) After sanctioning the advance, the amount shall be drawn on an authorisation from the Accounts Officer in case where the application for final payment had been forwarded to the Accounts Officer under clause (ii') of sub-rule (3) of rule 34.

8. In rule 13, of the said rules, in sub-rule 3 the following proviso shall be added, namely :

"Provided that, before such advance is disallowed, the subscriber shall be given an opportunity to explain to the sanctioning authority in writing and within fifteen days of the receipt of the communicaton why the repayment shall not be enforced and if an explanation is submitted by the subscriber within the said period of fifteen days, it shall be referred to the President for decision, and if no explanation within the said period is submitted by him, the repayment of the advance shall be enforced in the manner prescribed under this sub-rule."

9. For rule 14 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :

"14. Notwithstanding anything contained in these rules, if the sanctioning authority has reason to doubt that money drawn as an advance from the Fund under rule 12 has been utilised for a purpose other than that for which sanction was given to the drawal of the money, he shall communicate to the subscriber the reasons for his doubt and require him to explain in writing and within fifteen days of the receipt of such communication whether the advance has been utilised for the purpose for which sanction was given to the drawal of the money. I the sanctionting authority is not satisfied with the explanation furnished by the subscriber within the said period of fifteen days, the sanctioning authority shall direct the subscriber to repay the amount in question to the Fund forthwith or, in default, order the amount to the recovered by deduction in one lumpsum from the emoluments of the subscriber even if he be on leave. If, however, the total amount to be repaid be more than half the subscriber's monthly emoluments, recoveries shall be made in monthly instalments of moieties of his emoluments till the entire amount is repaid by him.

NOTE.—The Term 'emoluments' in the rule does not include subsistence grant'.

10. In rule 15, of the said rules (1) in sub-rule (1), (a) in clause (B), (i) for the wards and brackets "after the completion of ten years of service (including broken period of service, if any) of a subscriber or within ten years before the date of retirement on superannuation, which is earlier, the following words shall be substituted, namely; "during the service of a subscriber",

(ii) in sub-clause (a) after the word 'site' the following words shall be inserted, namely :—

"or any payment towards allotment of a plot or flat by the Delhi Development Authority, State Housing Board of a House Building Society".

(b) for clause (c) the following clause shall be substituted, namely;

"(C) within twelve months before the date of subscriber's retirement on superannuation from the amount standing to the credit in the Fund without linking to any purpose".

(c) after clause (c) and before the Notes thereunder the following clause shall be added namely :—

"(D) Once during the course of a financial year, an amount equivalent to one year's subscription paid by the subscriber towards the Group Insurance Scheme for Central Government employees on self-financing and contributory basis.

(2)—after sub-rule (2), the following sub-rule shall be added namely :—

"(3) After sanctioning the withdrawal, the amount shall be drawn on an authorisation from the Accounts Officer in cases where the application for final payment had been forwarded to the Accounts Officer under clause (ii) of sub-rule (3) of rule 34".

11. In rule 16 of the said rules, in sub-rule (1), after second proviso, the following proviso shall be added namely :

"Provided also that the withdrawal admissible under rule 15(1)(C) shall not exceed 90 percent of the amount standing to the credit of the subscriber in the fund".

(2) in sub-rule (2), the following proviso shall be added namely :—

"Provided that before repayment of a withdrawal is enforced under this sub-rule, the subscriber shall be given an opportunity to explain in writing and within fifteen days of the receipt of the communication as to why the repayment shall not be enforced; and if the sanctioning authority is not satisfied with the explanation or no explanation is submitted by the subscriber within the period specified above, the sanctioning authority shall enforce the repayment in the manner prescribed under sub-rule.

12. In rule 33-A, in the opening paragraph, after the word 'on the death of a subscriber' the words and figures and letter 'on or before 30th September 1991 and to whom rule 33 B does not apply' shall be inserted.

13. After rule 33-A of the said rules the following rule shall be inserted namely :—

"33-B Deposit linked Insurance Revised Scheme—On the death of a subscriber, the person entitled to receive the amount standing to the credit of the subscriber shall be paid by the Accounts Officer an additional amount equal to the average balance in the account during the three years immediately preceding the 'death of such subscriber, subject to th following conditions namely :—

(a) the balance at the credit of such subscriber shall not at any time during the three years preceding the month of death have fallen below the limits of :—

(i) Rs. 12000 in the case of a subscriber who has held, for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is Rs. 4000 or more;

(ii) Rs. 7500 in case of a subscriber who had held for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is Rs. 2900 or more but less than Rs. 4000;

(iii) Rs. 4500 in the case of a subscriber who has held for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is Rs. 1151 or more but less than Rs. 2900;

(iv) Rs. 3000 in the case of a subscriber who has held for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is less than Rs. 1151.

(b) the additional amount payable under this rule shall not exceed Rs. 30,000.

(c) the subscriber has put in at least five years service at the time of his/her death.

NOTE.1—The average balance shall be worked out on the basis of the balances at the credit of the subscriber at the end of each of the thirty six months, preceding the month in which the death occurs. For this purpose, as also for checking the minimum balance prescribed above,

(a) the balance at the end of March, shall include the annual interest credited in terms of rule 11; and,

(b) if the last of the aforesaid thirty six months is not March, the balance at the end of the said last month shall include interest in respect of the period from the begining of the financial year in which death occurs to the end of the said last month.

NOTE.2—Payment under this scheme shall be in whole rupee. If an amount due included a fraction of a rupee, it shall be rounded off to the nearest rupee (50 paise counting as the next higher rupee).

NOTE.3—Any sum payable under this scheme is in the nature of insurance money and the statutory protection given by section 3 of the Provident Fund Act, 1925 (Act 19 of 1925) does not apply to sum payable under this scheme.

Note 4. The scheme also applies to those subscribers to the funds who are transferred to an autonomous organisation consequent upon conversion of a Government Department into such a body and who on such transfer, opt in terms of option given to them to subscribe to the Fund in accordance with these rules.

Note 5(a) In case of a Government servant who has been admitted to the benefits of the Fund under rule 35 or 35A, but died before completion of three years of service or as the case may be, five years of service from the date of his admission to the Fund,

the period of his service under the previous employer in respect where of the amount of his subscription and the employer's contribution, if any, together with interest have been recovered, shall count for the purposes of clause (a) and clause (c).

(b) In case of persons appointed on tenure basis and in the case of re-employed pensioners, service rendered from the date of such appointment or re-employment, as the case may be, only will count for purposes of this rule.

(c) The scheme does not apply to persons appointed on contract basis.

Note 6. The Budget Estimates of expenditure in respect of this scheme shall be prepared by the Accounts officer responsible for maintenance of the account of the Fund having regard to the trend of expenditure, in the same manner as estimates are prepared for other retirement benefits.

14. In rule 34 of the said rules.—(1) in sub-rule (2), the following proviso shall be added namely:—

"Provided that where no manager has been appointed and the person to whom the sum is payable is certified by a Magistrate to be a lunatic the payment shall under the orders of the Collector be made in terms of sub-section (1) of, section 95 of the Indian Lunacy Act, 1912 to the person having charge of such lunatic and the Accounts Officer shall pay only the amount which he thinks fit to the person having charge of the lunatic and the surplus, if any, or such part thereof, as he thinks fit, shall be paid for the maintenance of such members of the lunatic's famliy as are dependent on him for maintenance

(a) in sub-rule (3) for clause (i) the following clause shall be substituted, namely :—

"(i) To enable a subscriber to submit an application for withdrawal of the amount in the Fund, the Head of the Office shall send to every subscriber necessary forms either one year in advance of the date on which the subscriber attains the age of superannuation or before the date of his anticipated retirement if earlier, with instructions that they should be returned to him duly completed wihin a period of one month from the date of receipt of the forms by the subscriber. The subscriber shall submit the application to the Accounts Officer through the Head of Office or Department for payment of the amount in the Fund. The application shall be made:—

(A) for the amount standing to his credit in the Fund as specified in the accounts Statement, for the year ending one year prior to the date of his superannuation, or his anticipated date of retirement, or

(B) for the amount specified in his ledger account in case the Accounts statement has not been received by the subscriber;

for clause (ii), the following clause shall be substituted namely:—

(ii) The Head of Office/Department shall forward the application to the Accounts Officer indicating the recoveries effected against the advances which are still current and the number of instalments yet to be recovered and also indicate the withdrawals, if any, taken by the subscriber after the period covered by the last statement of the subscriber's account sent by the Accounts Officer".

NOTE—The principal rules were published in the Gazettee of India, Part II, Section IV, dated 27th October, 1961 at page 63, vide Government of India, Ministry of Defence S.R.O. No. 331 dated 27-10-61; and was subsequently amended by

(i) Ministry of Defence S.R.O. 276 of 1964.

(ii) Ministry of Defence S.R.O. 334 of 1977.

(iii) Ministry of Defence S.R.O. 126 of 1988.

[Case No. 19(3)/90/D(iv—II)/Defence (Fin) u.o. No. 1592/P.A. of 1991]

C. A. SUBRAMANIAN, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992